न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील/टीए/2191/2002/अजमेर</u>

1. भैरू पुत्र नारायण मृतक जरिये वारिसान–
1/1. घनश्याम
1/2. राधेश्याम
1/3. कैलाश
1/4. ताराचन्द पुत्रगण भैरू
1/5. यशोदा
1/6. प्रेमबाई
1/7. श्यामबाई पुत्रियां भैरू
1/8. शिवकान्ता पुत्री रामप्रसाद पुत्र भैरू
1/9. योगेश पुत्र रामप्रसाद
1/10.राजू पुत्र रामप्रसाद
1/11.अरविन्द पुत्र रामप्रसाद
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बाडी तहसील मसूदा जिला अजमेर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. कुन्दनमल पुत्र कैलाराम मृतक जरिये वारिसान–
1/1. देवीलाल
1/2. मोहन पुत्रगण कुन्दनमल
1/3. कमला
1/4. शान्ति पुत्रियां कुन्दनमल
2. लादू राम पुत्र मांगीलाल
3. ओमप्रकाश पुत्र रिद्धकरण
4. अशोक कुमार पुत्र रिद्धकरण
समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बाडी तहसील मसूदा जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर
6. उप–पंजीयक, बिजयनगर जिला अजमेर

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री धूकल राम कसवां, सदस्य

उपस्थित–

श्री हंगामीलाल, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 27.11.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–03–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, ब्यावर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 अन्तर्गत प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण के पूर्वज एवं शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर मौजा बाडी स्थित साबिक खसरा नम्बर 85 हाल खसरा नम्बर 107 बाबत् प्रस्तुत कर 1/3हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से जवाबदावा पेश कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। उक्त वाद के विचाराधीन रहते वादीगण ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त कराने हेतु दिनांक 16–7–2002 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया। साथ ही प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर बिन्दू संख्या 5 को सर्वप्रथम निर्णीत करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्रों पर

उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–09–2001 से वादीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी को खारिज किया। साथ ही प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18–3–2002 से आंशिक स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–09–2001 को निरस्त कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या–1 अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर यह आपत्ति की कि वादीगण द्वारा वाद में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त आपत्ति का जवाबदावा पेश होने के बाद भी वादीगण द्वारा आवश्यक पक्षकारों को वाद में पक्षकार बनाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की और वाद में तनकीयात कायम की गयी, जिसमें तनकी संख्या–5 आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाने से दावा चलने योग्य नहीं होने बाबत् विरचित की गयी। उक्त तनकी के कायम होने के पश्चात् वादीगण ने पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी अपीलार्थी की

ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने वादीगण की स्वीकारोक्ति बाबत् आवश्यक पक्षकार होने एवं प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र नहीं होने एवं आपत्ति पर तनकी कायम होने से विधिक तनकी मानकर आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाने से दावा विधिक रूप से खारिज किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार व कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने आदेश 12 नियम 9 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उनका कथन है कि वाद में आवश्यक पक्षकारों के पक्षकार नहीं बनाने की अवस्था में आदेश 1 नियम 9 के प्रावधान लागू होते है तथा दावा आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाने से आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों अनुसार बाड बाई लॉ है। उनका कथनहै कि विवादित आराजी अपीलार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, जिसके बाबत् वादीगण की ओर से आधारहीन वाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री से खारिज किया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 1993 एआईआर मध्यप्रदेश

पेज 21, 1997 एआईआर एससी पेज 2182 एवं 1994 एआईआर आन्ध्रप्रदेश पेज 87 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

5. हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, ब्यावर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 अन्तर्गत प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण के पूर्वज एवं शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर मौजा बाडी स्थित साबिक खसरा नम्बर 85 हाल खसरा नम्बर 107 बाबत् प्रस्तुत कर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। उक्त वाद के विचाराधीन रहते वादीगण ने प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त कराने हेतु दिनांक 16–7–2002 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया। साथ ही प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर बिन्दू संख्या 5 को सर्वप्रथम निर्णीत करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रार्थनापत्रों पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–09–2001 से वादीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी को खारिज किया एवं प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर वाद को खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण की ओर से मूल वाद में रिद्धकरण की दो पुत्रियों को पक्षकार बनाने बाबत् प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का दिनांक 16–07–2001 को

प्रस्तुत कर दिया था तो विचारण न्यायालय को सर्वप्रथम पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थनापत्र पर विधिसम्मत् निर्णय पारित चाहिए था। तत्पश्चात् ही प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को निर्णीत करना चाहिए था किन्तु विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी दिनांक 6–9–2001 के साथ ही पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–09–2001 से पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकारों का पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से वाद खारिज कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। विभिन्न माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि तकनीकी त्रुटि से अधिकारों के घोषणा के वाद को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के माध्यम से खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा मूल वाद में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित किये जाने का प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो चुका था तो घोषणा के वाद को आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर वाद को खारिज किया विधिसम्मत् होना नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों पर पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होते है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18-03-2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य